

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली
जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय - 102, कंचन अपार्टमेण्ट, एल.बी.एस.
कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर (राज.) शाखा कार्यालय-नादौती जरिये प्राधिकृत
प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह - प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरिकेश मीणा पुत्र श्री मिश्रीलाल मीणा, निवासी मकान नं. 297, मीणा मौहल्ला, ग्राम
कमालपुरा, तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली राज. 322215 - ऋणी
2. श्री रामावतार मीणा पुत्र श्रीमन मीणा, निवासी मकान नं. 29, ग्राम धावन, तहसील
टोड़ाभीम, जिला करौली - जमानती

मु.नं.-16/19 कि.मु.-अंतर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002

ता.रजु-13.08.2019


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08. 2019	<p>प्रार्थी की ओर से श्री नितिन शर्मा, एडवोकेट द्वारा यह प्रार्थना पत्र The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत विरुद्ध ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ऋणी ने प्रार्थी से 12,00,000 रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी ने अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय खसरा नं. 574, ग्राम कमालपुरा, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली (राज.) में जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 383 वर्गगज है, जिसके हद्द अरबा इस प्रकार है:-पूर्व में विश्राम की भूमि, पश्चिम में खसरा नंबर 574 की अन्य भूमि, उत्तर में जसराम की भूमि, दक्षिण में रास्ता व खसरा नं. 574 की अन्य भूमि स्थित है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।</p> <p>ऋणी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थीगण/ऋणी के खाता को दिनांक 15.12.2018 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी संस्था के दिनांक 17.02.2019 तक राशि 18,00,619 (अठारह लाख छः सौ उन्नीस रुपये मात्र) रुपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्च ऋणीपर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी संस्था द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 27.02.2019 को ऋणी को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु ऋणी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। प्रार्थी संस्था द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त बावत ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी संस्था के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी संस्था के द्वारा एक्ट की</p>	

धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 27.02.2019 को ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी ऋणी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई है। प्रार्थी के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह से प्रयास के बावजूद राशि वसूल नहीं कर पाने पर अंतिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ऋणी द्वारा प्रार्थी संस्था से ऋण सुविधा लेते समय उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी ने अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय खसरा नं. 574, ग्राम कमालपुरा, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली (राज.) में जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसकी माप लगभग 383 वर्गगज है, जिसके हद्द अरबा इस प्रकार है:—पूर्व में विश्राम की भूमि, पश्चिम में खसरा नंबर 574 की अन्य भूमि, उत्तर में जसराम की भूमि, दक्षिण में रास्ता व खसरा नं. 574 की अन्य भूमि स्थित है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी संस्था को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक करौली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नन्नुमल पहाड़िया)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
करौली